झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

ऑनलाइन (Online) आवेदन करने की अंतिम तिथि–15.10.2024

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या – 05 / 2024

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–66(16), दिनांक–22.03.2021 एवं पत्रांक–187(16), दिनांक–25.08.2021 द्वारा खाद्य विश्लेषक (Food Analyst) के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना एवं विभागीय मंतव्य के आलोक में आयोग द्वारा पूर्व में विज्ञापन संख्या–07 / 2022 प्रकाशित कर ऑनलाइन (Online) आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्रकाशित विज्ञापन के विरूद्ध निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त विज्ञापन को रद्द किया जाता है एवं संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में पुनः ऑनलाइन (Online) आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं जिसका लिंक आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है:–

1. रिक्त पद का विवरणः–

क्र0 सं0	पद का नाम	कुल पद	कोटिवार रिक्तियाँ						क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण						
			अनारक्षित	अ0ज0जा0	अ0जा0	अ0पि0व0 (अनु0–I)	पि0व0 (अनु0–II)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	आदिम जनजाति	महिला	खेल कूद	दिव्यांग: दृष्टि निःशक्त (क)	दिव्यांग: श्रवण निःशक्त (ख)	दिव्यांग: चलन निःशक्त (ग)	(घ) स्वलीनता (Autism), बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या (ङ) बहु निःशक्तता (Multiple disabilities) जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	खाद्य विश्लेषक (Food Analyst)	02	01	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

नोट :– कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. वेतनमान –PB-II, रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन रू0 – 5400/ Pay Matrix Level-9 53,100-1,67,800
3. पद – स्थायी
4. ग्रुप – ख
5. परीक्ष्यमान अवधि – 2 (दो) वर्ष
6. **Qualification & Experience (as per Recruitment Rules) :-**

(i) A person shall be qualified for appointment as Food Analyst as per rule-2.1.4(1) of Food Safety & Standards Regulations-2011 framed under the Food Safety & Standards Act-2006 if he/she has the following eligibility:- Holds a Master's Degree in Chemistry or Biochemistry or Microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition or holds Bachelor of Technology in Dairy/Oil or holds degree in Veterinary Sciences from any University established in India by law or is an associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India) or any other equivalent qualification recognized and notified by the Central Government for such purposes.

(i) फूड एनालिस्ट (खाद्य विश्लेषक) के पद पर नियुक्ति की योग्यता/अर्हत्ता Food Safety & Standards Act-2006- के अन्तर्गत निर्मित Food Safety & Standards Regulations-2011 के नियम 2.1.4(1) के अनुसार होगा जो निम्न प्रकार है :– विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रोद्योगिकी, खाद्य और पोषण में मास्टर की डिग्री या डेयरी/तेल में प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री अथवा विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु विज्ञान में डिग्री रखता हो या रसायनज्ञ संस्था (भारत) द्वारा खाद्य विश्लेषक के वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करके रसायनज्ञ संस्था (भारत) कोई सहयुक्त हो, या ऐसे प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित किसी अन्य समतुल्य अर्हत्ता रखता हो।

(ii) **अनुभवः**– भारत सरकार (FSSAI) या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य जाँच प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। (विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक)

नोटः– संबंधित खाद्य जांच प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

7. **चयन प्रक्रिया** :– (i) आयोग के Rules of Procedure, 2002 के प्रावधान के आलोक में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आधारित 100 अंकों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इसमें अंको का विभाजन निम्नवत् होगा :–

क्र0 सं0	अर्हता/योग्यता	स्नातकोत्तर स्तरीय शैक्षणिक अर्हत्ता के अंक	स्नातक स्तरीय शैक्षणिक अर्हत्ता के अंक
1	10th या मैट्रिकुलेशन	10	10
2	12th या इन्टरमिडिएट	15	15
3	स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक	20	55
4	स्नातकोत्तर	35	–
5	साक्षात्कार	20	20
	कुल	100	100

नोटः–अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन, इन्टरमिडिएट, स्नातक/प्रौद्योगिकी स्नातक तथा स्नातकोत्तर के अंकों का निर्धारण संबंधित परीक्षा के पूर्णांक के विरूद्ध उनके कुल प्राप्तांक के आधार पर निम्नवत् किया जायेगा।

$$\frac{\text{संबंधित परीक्षा में अभ्यर्थी का प्राप्तांक}}{\text{संबंधित परीक्षा के लिए निर्धारित पूर्णांक}} \times \text{संबंधित शैक्षणिक अर्हता के लिए निर्धारित अधिकतम अंक}$$

(ii) सीधी नियुक्ति वाले पदों पर होने वाली नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हत्तांक का अंकण निम्नवत् हैः–

सामान्य वर्ग	40 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	32 प्रतिशत

8. **उम्र सीमा की संदर्भ तिथि** :–01.08.2021

(क) न्यूनतम उम्र सीमाः– 21 वर्ष (सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।

(ख) अधिकतम उम्र सीमाः– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–29, दिनांक– 04.01.2021 के अनुसार निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	दिव्यांग जनों के लिए
1	अनारक्षित	35 वर्ष	45 वर्ष
2	अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	40 वर्ष	50 वर्ष

9. **आरक्षण का लाभ** :– आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।
जाति प्रमाण–पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् हैः–

(a) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक–25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित **प्रपत्र–IV** अथवा पत्रांक–1361, दिनांक–03.03.2022 द्वारा निर्धारित **संशोधित प्रपत्र–IV** में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्त्ता/प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(b) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत पत्र ज्ञापांक–4258 दिनांक–30.05.2019 में दिए गए निर्देश के आलोक में पूर्व सक्षम प्राधिकार यथा अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त द्वारा पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्समय प्रभावी प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे।

(c) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार के पूर्व अभिलेख सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

10. परीक्षा शुल्क :–

(i) सामान्य वर्ग, के लिए चालान द्वारा State Bank of India के किसी भी शाखा के माध्यम से या Online Payment Gatway के द्वारा **600 रू0 परीक्षा शुल्क + बैंक चार्ज** एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति के **लिए 150 रू0 परीक्षा शुल्क + बैंक चार्ज** देय होगा।

(ii) Offline Payment के लिए Genrated चालान Online Application System में स्वतः उपलब्ध रहेंगे। Online Gatway Payment के लिए Credit Card/ Debit Card/Net Banking/Cash Card/ Wallet के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।

(iii) विकलांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

11. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश

(क) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।

(ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ग) अभ्यर्थी के द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन भरा जायेगा। इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जवाबदेह होंगे। गलत या अर्धसत्य सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थिता पर अंतिम रूप से निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(घ) ऑनलाईन आवेदन में अंकित **E-mail Id, Mobile Number** तथा प्राप्त **User Id** एवं **Password** को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन भरने के क्रम में अपने ही कार्यरत **Mobile Number, E-mail Id** अंकित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति का **Mobile Number, E-mail Id** अंकित नहीं करेंगे।

(ड.) इन्टरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अतः अभ्यर्थी आखिरी समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(च) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इन्टरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान **Unsuccessul Payment/Transaction Status Failure** के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को **Submit** करने के बाद उसी समय पुनः **Login** कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध **"Download Filled Application Section"** से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित एवं आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र/कागजात, परीक्षा शुल्क भुगतान की बैंक रसीद की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय या किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण–पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(ज) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हत्ता के संबंध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।

(झ) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण–पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

(ञ) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं Online आवेदन में वर्णित सभी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंक पत्र, अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि की Hard Copy जमा किये जाने के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।

(ट) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.–+919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(ठ) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है:– 1. +919431301636 2. +919431301419

(ड) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.– 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है।

(ढ़) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।

(ण) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(त) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(थ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक–पत्र में अंकित है।

(द) जन्म तिथि–आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर भरे।

(ध) **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित पठनीय प्रति आयोग कार्यालय के पते "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" पर निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy के लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या–05/2024 तथा परीक्षा का नाम यथा–"खाद्य विश्लेषक (Food Analyst) नियुक्ति परीक्षा" मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।**

(i) मैट्रिक प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
(ii) इंटरमीडिएट प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति।
(iii) विज्ञापित पद से संबंधित शैक्षणिक अर्हत्ता (स्नातक प्रतिष्ठा) प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
(iv) विज्ञापित पद से संबंधित शैक्षणिक अर्हत्ता (स्नातकोत्तर) प्रमाण–पत्र एवं अंक पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
(v) भारत सरकार (FSSAI) या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य जाँच प्रयोगशाला में खाद्य विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।
(vi) जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
(vii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (जहाँ लागू हो)।
(viii) अनापत्ति प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू हो)।

(न) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(प) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(फ) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है। इस बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(ब) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में यदि कोई गलत सूचना या तथ्य अंकित करने/छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(भ) कदाचार (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, of
(e) Making statements which are incorrect of false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
    (i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or
    (ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-
    (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

12. अंतिम तिथि–

(क) आवेदक Online Application System के माध्यम से **दिनांक 15.09.2024 से दिनांक–15.10.2024 संध्या 05:00 बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।

(ख) उक्त कंडिका 11 (ध) के अनुसार ऑनलाईन आवदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति (Hard Copy) स्पीड–पोस्ट / निबंधित डाक / या हाथोंहाथ आयोग कार्यालय में प्राप्ति की अंतिम **तिथि–28.10.2024 संध्या 05:00 बजे** तक होगी।

(ग) **दिनांक–15.10.2024** के बाद **दिनांक–17.10.2024 अपराह्न–05:00 बजे** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0 / –
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।